न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः डॉ.सूरज सिंह नेगी, आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं0–– 256/2016
प्रविष्टि दिनांक ––26.7.2016

अताउर्रहमान खान पुत्र शेयबुर्रहमान खां जाति मुसलमान निवासी तालकटोरा, तहसील व जिला टोंक

– वादी

बनाम

1. तहसीलदार टोंक

– प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री अशोक कासलीवाल –वकील वादी

निर्णय

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

दिनांक : 11/09/2017

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार भूमि ख. न. 5/2 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा, ख.न. 6/3 रकबा 12 बिस्वा वाके ग्राम वाके ग्राम शकूरपुरा, तहसील टोंक मे स्थित है जिसका आवेदक काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि सैटलमेन्ट से पूर्व खसरा बन्दोबस्त सनं 1942 मे मुजब्बेजा जनबा सैयद हैदर नसरूदीन साहब बहादुर मे साबिक मिन नंबर 9 व 8 जिसके हालन ख.न. 5 व 6 थे जो जमाबंदी मे तलख दोयम किस्म अंकित थी जिसका स्पष्ट अर्थ मे भूमि काश्त के उपयोग हेतु थी। तत्समय भूमि के खसरा बन्दोबस्त मे गंदुम (गेहू) की फसल काश्त अंकित है। इसी प्रकार संवत 2008 से 2013 मे खसरा गिरदावरी एवं राजस्व रिकार्ड मे स्पष्ट रूप से उक्त भूमि की किस्म तलख दोयम अंकित है। लेकिन सहवन से संवत 2019–22 मे उक्त भूमि की किस्म तलख –2 के स्थान पर तालाब–2 अंकित कर दी गई। जिसके आधार पर सेटलमेन्ट के बाद भी उक्त भूमि की किस्म त्रुटिवश तालाब –2 अंकित होती रही। जबकि उक्त भूमि की किस्म तलख–2 है। उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन के कारण प्रार्थी अपनी भूमि के. पूर्णतः उपयोग उपभोग से वंचित है। अतः उक्त त्रुटि को सुधारते हुए उक्त भूमि की किस्म तालब–2 के स्थान पर तलख–2 अंकित की जावे।

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार उक्त विवादित भूमि प्रार्थी की खातेदारा मे होना स्वीकार है। उक्त भूमि के साबिक खसरा नंबर की किस्म तलख दोयम अंकित है। संवत 2018 की गिरदावरी मे तालाब–2 लिखा जाना स्वीकार है। उक्त भूमि की वर्तमान किस्म तालाब–2 है तथा राजस्व रिकार्ड अनुसार सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त साबिक खसरा नंबरो मिन 9 व मिन 8 की किस्म तलख दोयम अंकित है तथा खसरा बन्दोबस्त के समय गंदुम (गेहू) की फसल काश्त होना रिकार्ड के अनुसार सही है। वर्तमान मे उक्त भूमि बंजड पडी है। पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त विवादित भूमि मे कोई पानी नही भरता है। भूमि मौके पर पडत है। मौका पर्चा संलग्न है।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे अधिवक्ता आवेदक ने जमाबंदी संवत सन 1942 हैदर साहब हिन्दी व उर्दू, मिलान क्षेत्रफल, गिरदावरी संवत 2009, 2022, 2069–72 ग्राम शकूरपुरा आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

विवादित भूमि के तलख दोयम होने या तत्कालीन समय में इस प्रकार की कोई कि भूमि की किस्म प्रचलित होने के संबंध मे श्रीमान भू–प्रबन्ध अधिकारी टोंक से

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner

रिपोर्ट ली गई। श्रीमान भू–प्रबन्ध अधिकारी टोंक एवं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक राजस्थान की रिपोर्ट के अनुसार तलख उर्दू शब्द है जिसका अर्थ नामुलायम सख्त है इस प्रकार की भूमि को आज उसर कहा जाता है। तलख दोयम जो टोंक रियासतकाल मे भूमि की हैसियत मे प्रचलित था जिसका अर्थ कडवा अथवा शुष्क होता है।

इसके पश्चात प्रार्थनापत्र पर अधिवक्ता आवेदक की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस की।

हमने वाद पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषक आवेदक की बहस पर मनन किया। जमाबंदी संवत सन 1942 हैदर साहब हिन्दी अनुवाद मे उक्त विवादित भूमि की किस्म तलख दोयम अकित है। मिलान क्षेत्रफल से साबिक व हाल खसरा नंबरो की पुष्टि होती है। गिरदावरी संवत 2009 व 2022 मे भी भूमि की किस्म तलख दोयम अंकित है। लेकिन वर्तमान जमाबंदी संवत 2069–72 ग्राम शकूरपुरा मे भूमि तलख दोयम के स्थान पर तालाबी–2 अंकित है। प्रार्थी के अनुसार सहवन से उक्त भूमि की किस्म तलख दोयम के स्थान पर तालाबी दोयम अंकित कर दी गई। तलख दोयम एक उर्दू शब्द है जिसका हिन्दी अर्थ कठोर होता है। उक्त विवादित भूमि की किस्म किस प्रकार परिवर्तन हुई इस संबंध मे पैरोकार सरकार के जवाब में भी कोई स्पष्ट तथ्य अंकित नही है। पैरोकार सरकार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि मे पानी नही भरता है तथा उक्त भूमि के साबिक खसरा नंबर की किस्म तलख दोयम अंकित है। राजस्व रिकार्ड अनुसार सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त साबिक खसरा नंबरो मिन 9 व मिन 8 की किस्म तलख दोयम अंकित है तथा खसरा बन्दोबस्त के समय गंदुम (गेहू) की फसल काश्त होना रिकार्ड के अनुसार सही है। श्रीमान भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं अरबी फारसी शोध संस्थान की रिपोर्ट से भूमि तत्कालीन समय मे तलख दोयम भूमि की किस्म प्रचलित होने की पुष्टि होती है। पैरोकार सरकार ने भी भूमि की किस्म पूर्व मे तलख दोयम होने का प्रतिकार नही किया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान मे उक्त भूमि बंजड पडी है। इस प्रकार उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि संभावना है कि कि तत्समय हस्तलिखित जमाबंदिया प्रचलित थी जो स्पष्ट पठनीय नही होती थी। पत्रावली पर जो गिरदावरी संवत 2009 संलग्न है उसमे खातेदारो के नाम पठनीय नही है। अतः संभव है कि अपठनीय होने की स्थति मे भूमि की किस्म तलख दोयम के स्थान पर तालाबी दोयम अंकित हो गई हो और उसके बाद की जमाबंदियो मे उसी अनुसार इन्द्राज चला आ रहा है। चूंकि उक्त भूमि की किस्म त्रुटिवश तालाबी अंकित हो जाने के तथ्य साबित है तथा इस तथ्य का प्रतिकार करने वाला कोई साक्ष्य या दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है और ना ही उक्त तथ्य का प्रतिकार पैरोकार सरकार द्वारा किया गया है। अतः साक्ष्य दस्तावेजो के आधार पर , श्रीमान भू–प्रबन्ध अधिकारी टोंक एवं अरबी फारसी शोध संस्थान की रिपोर्ट के आलोक में उक्त इन्द्राज को त्रुटिवश या सहवन से हुई मानते हुए, जिसे दुरूस्त करवाने का प्रार्थी अधिकारी है के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

फलतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टोंक को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम शकूरपुरा, पटवार मण्डल वजीरपुरा, तहसील टोंक की जमाबंदी संवत 2069–72 के खसरा नंबर 6/3 रकबा 12 बिस्वा एवं ख.न. 5/2 रकबा 3 बीघा 1 बिस्वा की किस्म तालाबी दोयम के स्थान पर तलख दोयम मुताबिक जमाबंदी बन्दोबस्त रियासत सन 1942 हैदर साहब दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जाकर, पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज **दिनांक 11.9.2017** लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(डॉ.सूरज सिंह नेगी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, टोंक
टोंक (राज.)

Scanned by CamScanner